GCMS-2025/310 — 1

APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

सरकार बनाम कब्जाधारी

किस्म मुकदमा 136 L.R नं. 42 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/6/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 6/6/25 को पेश हो।	
11/6/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हरिपुरा में नामान्तरण संख्या 376 बेचान द्वारा खाते में दर्ज खसरा संख्या 276 रकबा 0.09 है0 भूमि का नवीन खसरा नं0 बेचान द्वारा 353/276 रकबा 0.0450 है0 व ख0नं0 352/276 रकबा 0.0450 है0 तथा ख0नं0 280 रकबा 1.40 है0 भूमि का नवीन ख0नं0 355/280 रकबा 0.4516 है0 व ख0नं0 354/280 रकबा 0.9484 है0 किया गया था। उक्त खसरे की तरमीम खसरा संख्या 355/280 उत्तरी पश्चिमी दिशा में नजरी नक्शे अनुसार की जानी थी। परन्तु सहवन से उक्त खसरा नं0 की तरमीम पश्चिम दिशा में दर्ज हो गयी है। जिसे दुरूस्त किया जाना है। उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि ग्राम हरिपुरा प0मं0 भंवरिया में प्रार्थिया द्वारा ख0नं0 276 की पश्चिमवर्ती 0.0450 है एवं खसरा नं0 280 की उत्तरी पश्चिमवर्ती 0.4516 है0 भूमि का बेचान श्रीमती आशा मित्तल पत्नि चेतन प्रकाश मित्तल जाति महाजन को किया गया था। भू0 अभि0 नि0 काल्याखेड़ी की रिपोर्ट दिनांक 20.05.2025 के अनुसार क्रेता आशा मित्तल पत्नि चेतन प्रकाश मित्तल जाति महाजन के जमाबन्दी मे तो सही अंकन होकर नया खाता संख्या 144 बना है लेकिन नक्शे में गलत तरमीम हो गई है। क्रेता आशा मित्तल मौके पर सही काबिज है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड की भिन्नता को सही करने के लिए तरमीम शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम हरिपुरा के खसरा नं0 355/280 की तरमीम दुरूस्त करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 11/06/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। 11/06/25 उपखण्ड अधिकारी कोटा (मुहर: उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा)	